विविध **बैंक प्रकरण संख्या 17/2021**(GCMS : 2021/33) **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–नगर परिषद् श्रीगंगानगर** जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स गुरूनानक इलैक्ट्रिक सर्विस –प्रो. श्री राजीव बेरारा** पुत्र श्री सुल्तान बेरार निवासी 35 कोतवाली रोड़, नजदीक पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राज.) **2. श्री सुल्तान राम पुत्र श्री देवीलाल** निवासी 35 कोतवाली रोड़, नजदीक पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण मैसर्स गुरूनानक सर्विस –प्रो. श्री राजीव बेरारा एवं श्री सुल्तान राम पुत्र श्री देवी लाल द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी सुल्तान राम पुत्र श्री देवी लाल द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 35(क्षेत्रफल 340 वर्गफुट) (दक्षिण भाग पश्चिममुखी), पब्लिक पार्क, कोतवाली रोड, श्रीगंगानगर (राज.) प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई है, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2021 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी है इसलिए वे अब इस प्रकरण को आगे कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करता है, और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

मैने उक्त [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 03.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक, शाखा नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स गुरूनानक सर्विस –प्रो. श्री राजीव बेरारा एवं श्री सुल्तान राम पुत्र श्री देवी लाल के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुल्तान राम पुत्र श्री देवी लाल द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 35(क्षेत्रफल 340 वर्गफुट) (दक्षिण भाग पश्चिममुखी), पब्लिक पार्क, कोतवाली रोड, श्रीगंगानगर (राज.) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि **ऋणी द्वारा बकाया राशि बैंक में जमा करवा दी गई है और प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया है और जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 03.03.2021 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज़ाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested